प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 22.08.2025**

- **नाबालिग बालिकाओं को बहला फुसलाकर ले जाने वाले व एक बालिका के साथ बार-बार दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले 01 नफर वांछित अभियुक्त को थाना रनियाँ पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना रनियाँ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 131/25 धारा 64(2)(m)/137(2)/87 बीएनएस व 5L/6 पॉक्सो एक्ट में वांछित था अभियुक्त।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराध नियन्त्रण की दिशा में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, वादी मुकदमा द्वारा आरोपी व्यक्तियों के नाबालिग लडकियों को बहला-फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना रनियाँ पर दिनांक 19.07.2025 को मु0अ0सं0 0131/2025 धारा 137(2)/87/61(2) बीएनएस बनाम विकास पुत्र सिविल सार्जन निवासी किशरवल थाना रनियाँ जनपद कानपुर देहात आदि 03 नफर नामजद अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के क्रम में प्राप्त साक्ष्यों एवं अपहर्ताओं की बरामदगी व बयान अंतर्गत धारा 180 व 183 बीएनएसएस के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में विकास पुत्र सार्जन उपरोक्त के विरुद्ध धारा 64(2)(m) बीएनएस व 5L/6 पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। आज दिनांक 22.08.2025 को नामजद अभियुक्त विकास पुत्र सिविल सार्जन उपरोक्त को रनियाँ मैथा रोड़ नारीखेत नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण -

1. विकास पुत्र सिविल सार्जन, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी किशरवल थाना रनियाँ कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना रनियाँ पुलिस